डी० आई० 210

27238—D.I.— Item No.7—H.G.P., Chd.

समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(वर्ष 1860 का इक्कीसवाँ अधिनियम)

क्रमांक 897 वर्ष 1997-98

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि VISHWABHARTI SHIKSHASANTHAN, GURUKUL, BHAIYANPUR (LADHOT), DIST'T ROHTAK नामक समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम इक्कीस आफ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक ——— मास 21 AUG 1997 वर्ष ——— को चण्डीगढ़ में जारी किया गया।

अध्यक्ष,
विश्व भारती शिक्षा संस्थान
गुरुकुल भैयापुर (लाढौत)
रोहतक (हरयाणा)

रजिस्ट्रार समितियां, हरियाणा

4028

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रूपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA A 623359

स्टाम्प 50/- स्टाम्प नं. 113 दिनांक 2.4.2014 श्रीकृष्ण स्टैम्प विक्रेता रोहतक

ट्रस्ट डीड/न्यास

मै आचार्य हरिदत्त पुत्र श्री हरी सिंह निवासी भैयापुरा लाढ़ौत जिला रोहतक का हूँ जबसे मैने होश संभाला है उसी समय से मै महर्षि दयानन्द के विचारों व उनके प्रवचन, सिद्धांत से प्रभावित हूँ । उनसे प्रभावित होकर मै एक संगठन का गठन करना चाहता हूँ जो शिक्षा को बढ़ावा देना गुरूकुल खोलना आपसी भाईचारा बढ़ाना इसके अतिरिक्त मानव समाज के कल्याण के लिये धर्मशाला औषधालय खोलना व वृद्ध आश्रम खोलना व असहाय पीड़ित व पिछड़े मानव समाज की सेवा करना है । इस सारे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये मै एक ट्रस्ट गठित करना चाहता हूँ ट्रस्ट का नाम **विश्वभारतीय शिक्षा सस्थान गुरूकुल भैयापुर (लाढ़ौत) रोहतक हरियाणा होगा** ।

ट्रस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट की देखभाल करना, शिक्षा को बढावा देना, गुरूकुल खोलना, आपसी भाईचारा बढ़ाना हैं। इसके अतिरिकत मानव समाज के कल्याण के लिए धर्मशाला, औषधालय खोलना व चलाना वृद्धाश्रम, खोलना, व असहाय, पीड़ित व पिछड़े मानव समाज की सेवा व सहायत्ता करना है हम ऐसी संस्था या ट्रस्ट का गठन बनाना चाहते है जो कि स्थाई रूप से वर्तमान एवं भविष्य में पीड़ित, असहाय व पिछड़े मानव समाज की सेवा व सहायता कर

113 त्रिवेणी भारती शिक्षा संस्थान गुरुकुल भैयापुर लाढौत रो. (illegible handwriting)

आ 4/14

प्रलेख न: 4028

SHRI KRISHAN
Stamp Vendor
ROHTAK

दिनाँक 01/07/2014

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRUST
तहसील/सब-तहसील रोहतक
गांव/शहर लाढोत (Ladhot)

धन सबंधी विवरण

स्टाम्प डयूटी की राशि 50.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: बसन्त कुमार अधिवक्ता

यह प्रलेख आज दिनाँक 01/07/2014 दिन मंगलवार समय 11:15:00AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी आचार्य हरी दत्त पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हरी सिहं निवासी भैया पुर लाढोत जिला रोहतक द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री आचार्य हरी दत्त

उप सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक

उप पंजीयन अधिकारी रोहतक

उपरोक्त प्रथम पक्ष व श्री/श्रीमती/कुमारी द्वितीय पक्ष हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी रामकिशन नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी लाढोत व श्री/श्रीमती/कुमारी जगदीप दत्त पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी लाल चन्द निवासी रोहतक ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 01/07/2014

उप सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक

उप पंजीयन अधिकारी रोहतक

सके और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सके। अतः हम अपने पूर्ण होशो-हवास से
बिना किसी के बहकाये सिखाये, बिना किसी के दबाव के अपनी मर्जी से व अपनी प्रसन्नता से इस सेवा के लिए ट्रस्ट की स्थापना करते है और सभी ट्रस्टी मिलकर मुबलिग 12100/- ट्रस्ट फण्ड में देते है ।

न्यासः विश्वभारती शिक्षा संस्थान गुरूकुल भैयापुर (लाढ़ौत) जिला रोहतक की स्थापना करते है ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट की देखभाल करना, शिक्षा को बढावा देना, गुरूकुल खोलना, आपसी भाईचारा बढ़ाना हैं। इसके अतिरिकत मानव समाज के कल्याण के लिए धर्मशाला, औषधालय खोलना व चलाना वृद्धाश्रम, खोलना, व असहाय, पीड़ित व पिछड़े मानव समाज की सेवा व सहायता करना है हम ऐसी संस्था या ट्रस्ट का गठन बनाना चाहते है जो कि स्थाई रूप से वर्तमान एवं भविष्य में पीड़ित, असहाय व पिछड़े मानव समाज की सेवा व सहायता कर सके और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सके। अतः हम अपने पूर्ण होशो-हवास से बिना किसी के बहकाये सिखाये, बिना किसी के दबाव के अपनी मर्जी से व अपनी प्रसन्नता से इस सेवा के लिए ट्रस्ट की स्थापना करते है और सभी ट्रस्टी मिलकर मुबलिग 12100/- ट्रस्ट फण्ड में देते है ।

1. यह कि ट्रस्ट को, **विश्वभारती शिक्षा संस्थान न्यास गुरूकुल भैयापुर (लाढ़ौत) जिला रोहतक** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा इस बड़े नाम को देखते हुये गुरूकुल भैयापुर लाड़ौत इस लघुनाम से भी बोला या लिखा जा सकता है ।

"मुख्य कार्यालय"

2. यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय **विश्वभारती शिक्षा संस्थान न्यास गुरूकुल भैयापुर (लाढ़ौत) जिला रोहतक**

"ट्रस्ट की सम्पति"

3. यह कि हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त राशि मुबलिग 12100/- रूपये (बारह हजार एक सौ रूपये) का ट्रस्ट पूर्णतया स्वामी होगा चल अचल सम्पति, नकद रूपया, सोना-चान्दी, आभूषण इत्यादि जो भी ट्रस्ट को किसी द्वारा दान दी गई और सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी जिससे लोक कल्याण के अनेक कार्य किए जा सकेंगे ।

"ट्रस्ट के उदेश्य"

" यह कि ट्रस्ट को, **विश्वभारती शिक्षा संस्थान न्यास गुरूकुल भैयापुर (लाढ़ौत) जिला रोहतक** के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, कार्यकारिणी के आजीवन सदस्यों नये ट्रस्टी की सदस्यता शुल्क 5100/- रूपये होगी किसी ट्रस्टी की मृत्यु त्यागपत्र/ निष्कासन के पश्चात् ट्रस्टीयों की इच्छा से ही किसी अन्य को ट्रस्टी बनाया जा सकता है ।

1. मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना, दूसरी जातियों व धर्म के साथ भाईचारा बढ़ाना शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा संस्थान खोलना शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करना व उचित प्रबन्ध करना ।

2 आधुनिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढावा देना ।

3 छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शरीरिक शिक्षा सांस्कृतिक खेल कूद आदि की व्यवस्था करना ।

4. नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना ।

5. गौ रक्षा के लिये उचित प्रबन्ध करना ।

6. निर्धन असहाय, वृद्ध, अनाथ विधवाओं ,अपंग आदि की सहायता करना तथा उनके लिए आश्रम विश्राम गृह आदि का निर्माण करना

7 मानव समाज में फैली हुई दहेज-प्रथा भ्रूण हत्या ,नशा , जातिवाद तथा क्षेत्रवाद आदि कुरीतियों को दूर करना।

9. पीने के पानी के लिए नल,हैंडपंप, प्याऊ,आदि बनवाना ।

10. दैनिक आपति या आकस्मिक दुर्घटना से पीडित मानव समाज को आर्थिक सहायता देना

11. भारतीयो में श्रेष्ठ नागरिकता, देशप्रेम, मानवता इत्यादि की भावना को जागृत करना ।

हरिदत्त

13. मानव समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना।

12. ऐसा कोई कार्य जिसका विवरण उपर नहीं दिया गया है और वह मानव समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए उपयोगी व लाभ प्रद हो तो उन कार्यो को भी ट्रस्टीगण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके करना ।

13. क्षेत्र में चारों और निरन्तर चरित्र निर्माण शिविर, उत्सवों, हवन-यज्ञों, और वेद प्रचार कार्यक्रमों द्वारा धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना ।

14. नारी शिक्षा तथा सुरक्षा की व्यवस्थां करना ।

15. उपरोक्त सभी कार्य बिना किसी जाति पाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग भेद-भाव के बिना किये जायेगें ।

16. गुरूकुल में आर्यसमाज के 10 नियमों के अनुकूल परिस्थितियां बनाये रखना तदनुसार कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करना ।

17. महर्षि दयानन्द द्वारा अनुमोदित वैदिक धर्म एवं प्राचीन अर्वाचीन साहित्य के प्रचार, प्रसार तथा समुचित अध्ययन, अध्यापन की आदर्श व्यवस्था करना ।

18. छात्रों को ब्रह्मचर्यपनूर्वक नैतिक शिक्षा देते हुये उनमें वैदिक धर्म, भारतीयं संस्कृति के प्रति अनुराग और देश भक्ति के भाव भरने के लिये अध्ययन के साथ छात्रावास की व्यवस्था करना ।

19. धर्मार्थ औषधालय विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय पुस्कालय, आयुर्वेदिक औषध निर्माणशाला गौशाला व्यायामशाला, वाचनालय, उपवन आदि का निर्माण करना धार्मिक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना ।

20. न्यूनतम शुल्क पर छात्रों के अध्ययन व आवास की व्यवस्था करना ।

21. सुयोग्य छात्रों के लिये पुरस्कार एवं छात्रवृति का प्रबन्ध करना ।

22. न्यास द्वारा निर्मित किसी संस्था का नाम निश्चित करना या बदला

23. किसी भी विशेष कार्यक्रम के लिये प्रबन्ध इत्यादि निर्धारण हेतु आम सभा

का गठन किया जायेगा किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रधान आम सभा का गठन कर सकता है ।

शर्तें:-

न्यास की सम्पति तथा आय न्यास के हित के लिये खर्च होगी तथा सम्पूर्ण राशि का न्यास पूर्ण रूपेण स्वामी होगा तथा इसके अतिरिक्त चल अचल सम्पति नकद रूपया सोना चांदी आभूषण भूमि भवन इत्यादि जो भी न्यास को किसी व्यक्ति फर्म, संस्था, ट्रस्ट या सरकार द्वारा प्राप्त होगा अथवा न्यास की आय से खरीदा जायेगा वह सब चल अचल सम्पति न्यास की होगी ।

2. कोई भी सदस्य या न्यासाध्यक्ष न्यास की अचंल सम्पति को किसी भी प्रकार से विक्रय इत्यादि द्वारा अन्तरित करने का अधिकारी नहीं होगा

3. गुरूकुल के न्यास के संविधान में उल्लिखित सभी ग्यारह सदस्यों के लिये यह परम आवश्यक है कि वे सब धूम्रपान मद्यपान जैसी बुराईयों से अछूते रहे आर्यसमाज के सिद्धांत उनके व्यवहारिक जीवन में प्रतिबिम्बित हो । इन्हीं ग्यारह सदंस्यों का समुदाय प्रबन्धक समिति समझा जाये ।इस समय मै निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रस्ट का प्रधान व अधिकारी व ट्रस्ट नियुक्त करत हूँ जिन्होंने अपने स्वेच्छा से ट्रस्टी व अधिकारी बनना मंजूर कर लिया है और उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिये है यानि अपनी सहमति दे दी है ।

1. आचार्य हरिदत्त सुपुत्र श्री हरि सिंह निवासी ग्राम भैयापुर लाढ़ौत तहसील व जिला रोहतक । — प्रधान/अध्यक्ष हरिदत्त
2. स्वामी आर्यवेश संस्थापक स्वामी इन्द्रवेश विद्यापीठ टिटौली जिला रोहतक — उप-प्रधान आर्यवेश
3. कपूर सिंह सुपुत्र श्री राजरूप गांव निंगाना जिला रोहतक — सचिव कपूर सिंह
4. मास्टर रामप्रकाश आर्य सुपुत्र चौ टेक चन्द निवासी गांव भैयापुर तहसील व जिला रोहतक — कोषाध्यक्ष रामकुमार
5. आचार्य सत्यानन्द सुपुत्र हरदयाल गांव कतलाहेड़ी जिला करनाल — उपसचिव सत्यानन्द

हरिदत्त

6. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामधन निवासी भैयापुर जिला रोहतक — ट्रस्टी

7. स्वामी सुमेधानन्द वैदिक योगाश्रम पीपराली राजस्थान — ट्रस्टी

8. मास्टर बलजीत सिंह पुत्र श्री नेत राम निवासी गांव जाखौदा तहसील बहादुरगढ़ जिला रोहतक — ट्रस्टी

9. चौधरी शिवधन पुत्र श्री हरि सिंह गांव भैयापुर तहसील व जिला रोहतक — ट्रस्टी

10. चौ. दलेल सिंह पुत्र चौ.बलवन्त सिंह गांव भैयापुर तहसील व जिला रोहतक — ट्रस्टी

11. चौ.हरकिशन हुड्डा पुत्र श्री रामस्वरूप गांव कटवाड़ा तहसील व जिला रोहतक — ट्रस्टी

5. "बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मीटिंग"

बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मीटिंग वर्ष में कम से कम दो बार (छ:माही)अवश्य होगी। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग 6 मास के अन्दर आयोजित करनी होगी । और उनका कोर्म ट्रस्ट के कुल सदस्य 2/3 भाग होगा । मीटिंग की अध्यक्षता ट्रस्ट का प्रधान करेगा और उसे मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने व स्थगित करने का अधिकार होगा। मीटिंग का हर निर्णय बहुमत से होगा। यदि किसी वषय में विवाद बनता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

6. "ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य"

1. ट्रस्ट की धन राशि व आय को ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना

व समाज की सेवा तन मन धन से करना ।

2. ट्रस्ट की चल अंचल सम्पति का प्रबन्ध करना और उसकी देख भाल, सुरक्षा, स्थायित्व व वृद्धि हेतु सभी कार्य एवं उपाय करना।

3. ट्रस्ट की सम्पति से सम्बन्धित विभागों का निपटारा करना।

4. ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना और उसे संचालित करने के लिये प्रधान के हस्ताक्षर तथा अन्य ट्रस्टियों में से एक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे । तभी बैंक से राशि निकलवाई जा सकेगी

5. ट्रस्ट की जायदाद का निर्माण एवं मुरम्मत कराना ।

6. ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के टैक्सो की अदायगी करना ।

7. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति एवं उन्नति के लिये धन राशि नकद या अचल संपत्ति के रूप में किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या संस्था आदि से दान में लेना और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना व स्वीकार करना एवं व्यय करना ।

8. ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु समय-समय पर नियम उप नियम व योजना बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, उन्हें रद्द करना।

9. ट्रस्ट के उदेश्यों व नियमों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट के नाम से सम्पति खरीदना, किसी भवन का निर्माण करना उसमें सुधार करना, तबदीली करना।

10. कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें निलम्बित करना व उनको हटाना, उनकी सर्विस के सम्बन्ध में नियम व उपनियम बनाना और उसमें संशोधन करना।

11. नये ट्रस्टी की नियुक्ति करना।

12. अनुशासन भंग नियम विरूद्ध आचरण/ अथवा ट्रस्ट को हानि पहुंचाने के दोषी ट्रस्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त प्रस्ताव द्वारा पृथक (हटाना) करना, परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव पर सभा में विचार किया जा सकेगा जो इसी कार्य के लिये बुलाई गई हो ट्रस्ट के प्रधान को किसी किसी भी सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा ।

धीरेंद्र

13. ट्रस्ट का हिसाब किताब रखना।

14. ट्रस्टीगण कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11,12, 12-ए, 13,35 व 80 जी आदि की अवहेलना करता हो ।

15. कोई भी अन्य कार्य इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो और जो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन ना करता हो को सम्पन्न करना ।

16. सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं आर्य विद्वानों को पुरस्कृत करना ।

17. किसी भी प्रकार के नियम में परिवर्तन का अधिकार कार्यकारिणी को होगा ।

9. ट्रस्टीगण की संख्या व योग्यता

इस ट्रस्ट में कम से कम 7 व अधिक से अधिक 11 ट्रस्टीज होगें। वर्तमान ट्रस्टीज का विवरण ऊपर दिया गया है । शेष ट्रस्टीज की नियुक्ति 2/3 ट्रस्टीज की सहमति से बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मीटिंग में की जा सकती है।

10. ''प्रधान के अधिकार व कर्तव्य''

1. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिये धन खर्च करना ।

2. ट्रस्ट की मीटिंग बुलाना उसकी अध्यक्षता करना उसको सुचारू रूप से चलाना। किसी भी सदस्य को सभा की कार्यवाही के अनुशासन को भंग करने पर अथवा किसी सदस्य अथवा सभा के विरोध में अपशब्द बोलने पर उसको सभा से निलम्बित करना ।

3. प्रधान की आज्ञा से बोले गए शब्द वं प्रस्ताव की कार्यवाही और मीटिंग की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होगी।

4. किसी भी कठिन या आकस्मिक कार्य के आने पर तत्काल उपयुक्त प्रबन्ध करना।

5. बोर्ड के प्रत्येक कार्य में रूचि लेकर बोर्ड द्वारा पारित उदेश्य को पूरा करना।

6. न्यास के नाम से किसी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलना उसे आप्रेट

धीरेन्द्र

करने का अधिकार अध्यक्ष व अन्य किसी एक ट्रस्टी को होगा अर्थात अध्यक्ष व कोई भी एक ट्रस्टी मिलकर अपने हस्ताक्षरों द्वारा खाते से रूपये निकलवाने के अधिकारी होंगे ।

7. संस्था में आचार्य, उपाचार्य, प्रिन्सिपल आदि की नियुक्ति का अधिकार न्यासाध्यक्ष को ही होगा ।

8. भृत्यों को नियत करना उनके काम तथा अधिकार नियत करना उनका अवकाश आदि स्वीकार करना तथा भृतिका आदि का निश्चित करना ।

9. न्यासाध्यक्ष को यह अधिकार है कि यदि कोई ऐसा झगड़ा ट्रस्ट या न्यास के सदस्यों में हो जाये जिसके परिणामस्वरूप संस्था के टूटने की संभावना हो तो वह न्यास को भंग कर देवे और संस्था की रक्षा के लिये सम्पूर्ण प्रबन्ध अपने हाथ में लेवे तथा सभी नये सदस्यों का चुनाव पुनः कर लेवे ।

10. अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक होगा कि साधारण सभा के सदस्यों में से किसी कार्य विशेष को सम्पन्न करने के लिये संस्था की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने आदि कार्यों के लिये उप समितियों का गठन करे जो यथावश्यकता अध्यक्ष को अपने अमूल्य सुझाव तथा क्रियात्मक सहयोग दिया करेंगी ।

11. कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति से ही विचारणीय हो सकता है किसी पद या पदाधिकारी का निश्चय या अन्य किसी विषय के निश्चय में मतदान या वोट की विधि नहीं अपनायी जायेगी सभी बाते आम सहमति या सर्वसम्मति से निश्चित की जायेगी ऐसा न होने पर अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

महत्वपूर्णः

वैदिक सिद्धांतों में दृढ़ आस्थावान आजीवन ब्रह्मचारी या आर्य सन्यासी 35 वर्ष से अधिक आयु वाला तथा सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाला तथा केवल इसी संस्था के लिये जीवन अर्पित करने वाला ही कोई व्यक्ति इस न्यास का अध्यक्ष या उतराधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा व मनोनीत उतराकारी पूर्व न्यास अध्यक्ष की मृत्यु के उपरान्त न्यास का संचालक या अध्यक्ष होगा ।

को भी नहीं होगा । न्यासाध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने पर शेष सदस्य पूवोक्त नियम का पालन करते हुये उपयुक्त उत्तराधिकारी का चयन करेंगे उतराधिकारी की खोज एवं गुणवता की जांच का प्रमुख कार्य सचिव और उप-प्रधान का होगा बाद में वे अन्य सदस्यों की सहमति अवश्य लेंगे । न्यासाध्यक्ष का परीक्षण काल एक वर्ष होगा उसके बाद वह आजीवन न्यासाध्यक्ष स्वतः बन जायेगा न्यासाध्यक्ष अपने जीवन काल में भी किसी को न्यास का उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है । आचार्य हरिदत्त सुपुत्र श्री हरि सिंह गांव भैयापुर (लाड़ौत) इस न्यास के संस्थापक, लगभग 6 एकड़ भूमि के दाता तथा स्वजीवन समर्पण कर्ता और प्रारम्भ में 150000/- रूपये नकद और एक गाड़ी के दाता है ये इस न्यास के आजीवन प्रधान या अध्यक्ष निश्चित किये गये है इन्हें अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित करने का अधिकार भी है ।

न्यास के अध्यक्ष या प्रबन्ध समिति इसे एक गुरूकुलीय पद्धति वाली पूर्णरूपेण आवासी शिक्षा संस्था के रूप में ही विकसित करते रहेंगे । यह अपरिवर्तिनय नियम रहेगा । कोई गृहस्थी व्यक्ति इस न्यास का अध्यक्ष या प्रधान कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह न्यास ब्रह्चारी या सन्यासियों द्वारा संचालित करने के लिये बनाया गया है ।

न्यास का कोई अध्यक्ष या प्रधान अपने खून या रिश्तेदारी के किसी व्यक्ति को (चाहे व ब्रह्मचारी या सन्यासी भी क्यों न हो) अपना उत्तराधिकारी या ट्रस्टी नहीं बनायेगा मेरे (आचार्य हरिदत्त) के परिवार के व्यक्तियों से मेरा कहना है कि वे भी इस संस्था पर अधिकार जमाने का विचार तक न करें चाहे यहां कुछ भी होता रहे ।

उप-प्रधान

उप-प्रधान प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के सभी कार्य कर सकेगा

हरिदत्त

11. **"मन्त्री के अधिकार व कर्तव्य"**

1. ट्रस्ट के हर प्रकार के रिकार्ड को सुरक्षित रखना, बोर्ड की कार्यवाही वैधानिक ढंग से लिखना तथा अन्य लिखाई पढ़ाई तथा पत्र -व्यवहार आदि सभी प्रकार के कार्य करना व वार्षिक रिपोर्ट कोषाध्यक्ष से प्राप्त कर बोर्ड की मीटिंग में प्रस्तुत करना और स्वीकृति लेना।
2. मीटिंग के कार्यक्रम बनाना व ट्रस्ट के सदस्यों को नियमानुसार बैठक की सुचना देना।
3. बोर्ड द्वारा पास किये गये, प्रस्तावो को निश्चित अवधि में सुचारू रूप से कार्यान्वित करना तथा करवाना।
4. बैंक खाते प्रधान या अन्य किसी पदाधिकारी कोषाध्यक्ष (प्रधान की अनुपस्थिती में) के साथ मिल कर ओपरेट करना ।
5. ट्रस्ट के नाम से या ट्रस्ट के विरूद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी व जवाब देही करना। वकील मुकरर करना राजी नामा करना।

उपमन्त्रीः उपमन्त्री मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री का कार्य करेगा ।

12. **"कोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार"**

1. ट्रस्ट की आय का पूरा ब्यौरा रखना।
2. पारित बिलो का भुगतान करना।
3. ट्रस्ट का धन केवल बोर्ड आफ ट्रस्टीज की स्वीकृति के बाद व्यय करना।
4. वार्षिक आय-व्यय का पूर्ण व विस्तृत ब्यौरा तैयार करना व सचिव को देना।
5. आगामी वर्ष के लिये प्रधान व सचिव से परामर्श कर अनुमानित बजट तैयार करना।

13. यह कि निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी भी ट्रस्टी का पद रिक्त समझा जायेगा

1. ट्रस्टी की मृत्यु होने पर मृत्यु की तारीख से।
2. त्याग पत्र देने पर त्याग पत्र स्वीकार होने की तिथि से
3. न्यायालय द्वारा दिवालिया करार दिये जाने पर या सामाजिक या चारित्रिक अपराध में दण्डित किये जाने पर न्यायालय के फैसले की तारीख से ।
4. पागल करार दिये जाने पर ।
5. 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता समाप्त होने पर ।

ट्रस्ट का लेखा जोखा

क. ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखा जायेगा और इसका वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च होगा । प्रथम वर्ष जिस दिन से यह न्यास पत्र लागू होगा उस दिन से ही आरम्भ माना जायेगा

ख. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की धनराशि में से 25,000/- रूपये तक कि राशि अपने पास रख सकेंगे तथा बाकी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक जिसमें ट्रस्ट का खाता होगा में जमा करा देंगे । यह कि हमने इस आशा एवं विश्वास के साथ इस ट्रस्ट की स्थापना की है कि सभी ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पूरी इमानदारी निष्ठा एवं लगन से कार्य करेंगे और जनसेवा करके अपने जीवन को सफल बनायेंगे ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली सर्वसम्मति से बनाई गई है तथा विश्वभारती शिक्षा संस्थान, भैयापुर (लाढ़ौत) रोहतक की आमसभा में दिनांक .29/4/2014...........को पारित की गई है सभी सदस्यों ने सुन व समझ कर स्वीकार किया है ।

दिनांक 2.4.2014

मुकाम रोहतक

जगदीप दत्त

सुपुत्र श्री लाल चन्द

निवासी प्रेम नगर, रोहतक

Drafted by :- Basant Kumar
BASANT KUMAR
Adv., Rtk.
Regd. 531 Date 1/7/2014

आचार्य हरिदत्त

प्रधान

राम किशन नम्बरदार

(14)

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
4028	2014-2015	1

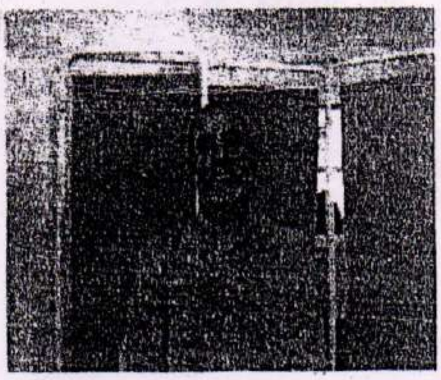

प्रथम पक्ष

गवाह

प्रथम पक्ष

आचार्य हरी दत्त

द्वितीय पक्ष

गवाह 1:- रामकिशन नम्बरदार

गवाह 2:- जगदीप दत्त

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 4,028 आज दिनांक 01/07/2014 को बही न: 1 जिल्द न: 4 के पृष्ठ न: 173 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 79 के पृष्ठ सख्या 27 से 28 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 01/07/2014

उप/पंजीयन अधिकारी
रोहतक
रोहतक